जायल

37A/DLC/13/52891, एवं प्रार्थी के राजस्थान मरूधरा ग्रामिण बैंक के बचत खाता संख्या 83068563037 की छाया प्रति प्रदर्श पेश की। वकील प्रार्थी के द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा मौजा कचरास के वर्तमान (2073–2076) खाता संख्या 261 की जमा बंदी की नकल जिसमें प्रार्थी का नाम मोहम्मद हनीफ पुत्र अब्दुल गनी के स्थान पर हनीफ पुत्र गनी दर्ज है, को शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा कचरास के वर्तमान (2073–2076) खाता संख्या 261 कि जमा बंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि जो प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी का नाम मोहम्मद हमीद पुत्र अब्दुल गनी के स्थान पर हनीफ पुत्र गनी भूलवश दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर गलत नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 क़ी धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मोजा ख्कचरास के खाता संख्या 261 के खसरा नम्बर 375 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 380 रकबा 6.5721 हैक्टेयर में दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। **मोजा कचरास के खाता संख्या 261 के खसरा नम्बर 375 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 380 रकबा 6.5721 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम हनीफ पुत्र गनी हिस्सा 1/4 जाति मुसलमान सा. खाटुकलां खातेदार के स्थान पर मोहम्मद हनीफ पुत्र अब्दुल गनी हिस्सा 1/4 जाति मुसलमान सा. खाटुकलां खातेदार दुरूस्त** किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

यह आदेश आज दिनांक 30/08/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner